राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 73 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :–14.06.2023

GCMS ID–2023 / 158

उनवान

1. भोमाराम आ0 कंवरलाल जाति मीणा निवासी देवपुरा ग्राम पंचायत गुढा गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण लाल आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी देवपुरा मजरा गुढा गोकुलपुरा
2. अजय कुमार आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी देवपुरा मजरा गुढा गोकुलपुरा
3. बंटी बाई पत्नी श्रवण जाति मीणा निवासी देवपुरा मजरा गुढा गोकुलपुरा
4. सोधरी बाई पत्नी कल्याण जाति मीणा निवासी देवपुरा मजरा गुढा गोकुलपुरा
5. सोना बाई पत्नी अजय जाति मीणा निवासी देवपुरा मजरा गुढा गोकुलपुरा
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 08.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 181 खसरा संख्या 177 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 178 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 179 रकबा 0.0162 गे0मु0चाह, खसरा संख्या 180 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 197 रकबा 1.4245 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.0756 हैकटेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के अगल–बगल अप्रार्थीगण की भूमिया स्थित है, अप्रार्थीगण कई बार सीमा सम्बन्धी विवाद करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करते है, और प्रार्थीगण की भूमि पर कब्ज करने की कुचेष्टा करते है, जबकि प्रार्थी अपने खाते में दर्ज भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थी की भूमियों को अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है। तथा दिनांक 26.03.2023 को दिन के 1 बजे करीबन अप्रार्थीगण व उनकी औरते एकराय होकर अपने हाथों में लकडिया व कुल्हाडी लेकर प्रार्थी की भूमि पर आ गये और प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु सीमेन्ट के पोल गाड रखे है, अप्रार्थीगण द्वारा करीब 30 पोलो व लोहे की जाली को तोड दिया प्रार्थी द्वारा मना करने पर प्रार्थी के साथ गाली गलौच की व जान से मारने पर आमादा हुये जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना हिण्डोली में भी पेश की तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमि

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पर कब्जा करेंगे और तुम्हारी सीमाओं पर बचे शेष सीमेन्ट के पोलो को भी तोडकर नष्ट करेंगे और तुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देगे। यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरन्तर चल रहा है। प्रार्थी के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करवावे। प्रार्थी पत्थरगढी का खर्चा वहन करेन हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 181 खसरा संख्या 177 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 178 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 179 रकबा 0.0162 गे0मु0चाह, खसरा संख्या 180 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा संख्या 197 रकबा 1.4245 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.0756 हैकटेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 6 पेरोकार सरकार ने राजकीय राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थी के खातेदारी की भूमियॉ है। अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थी की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 181 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 181 के खसरा संख्या 177, 178, 179, 180, 197 कुल किता 5 कुल रकबा 3.0756 हैक्टेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/05/2025.

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446